न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 61/2023
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 जा.दी.
निर्णय दिनांक 06.5.24

भानूप्रताप बगै0 बनाम रामवीर सिंह वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 जा.दी.व मुकदमे भानूप्रताप बनाम रामवीर वगै0

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 जाब्ता दीवानी के तहत प्रतिवादी प्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 दीपेश सिंह पुत्र जसराम, राजीव कुमार सिंघल पुत्र सुरेश चंद सिंघल, जसराम पुत्र रगुनी जाति जाट द्वारा पेश किया जो कि संक्षिप्त में इस प्रकार है—

दावा वादीगण द्वारा जमाबंदी संवत 2076 के खाता नंबर 2060 के आराजी खसरा नंबरान 2290 रकबा 0.52 हैक्ट एवं खाता संख्या 20 के आराजी खसरा नंबरान 1563 रकबा 0.10 है. व 1572 रकबा 0.23 है. व 1573 रकबा 0.31 है. व 1574 रकबा 0.33 है. व 1575 रकबा 0.48 है. व 1576 रकबा 0.39 है. व 1591 रकबा 0.60 है. एवं खाता नंबर 758 के आराजी खसरा नंबरान 1568/4035 रकबा 0.18 है. व 2267 रकबा 0.15 है. व 2292 रकबा 0.20 है. व 2293 रकबा 0.19 है. तथा खाता नंबर 934 के खसरा नंबर 1231 रकबा 0.54 है. व खाता नंबर 259 के आराजी खसरा नंबर 1223 रकबा 0.68 है. व 1224 रकबा 0.48 है. व खाता नंबर 244 के खसरा नंबर 1225 रकबा 0.68 है. व 4183/1222 रकबा 0.76 है. व 4183/1222 रकबा 0.76 है. वाके ग्राम भदीरा तहसील नदबई में स्थित है। उक्त विवादित आराजी वादीगण के बाबा टुण्डीराम पुत्र कारे की कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी है जिन्होंने अपने जीवनकाल में ही विवादित आराजी विक्रयपत्र आराजी खसरा नंबर 1223 रकबा 0.68 है. व 1224 रकबा 0.48 है. व खाता नंबर 244 के खसरा नंबर 1225 रकबा 0.68 तथा खसरा नंबर 1231 रकबा 0.54 है. तथा खसरा नंबर 1222 रकबा 0.76 है. को जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र तारीख 19.04.12 को रामवीर सिंह व विक्रमसिंह पुत्र टुण्डी जाति जाट निवासी भदीरा को विक्रय कर दिया। आराजी खसरा नंबर 1223 रकबा 0.68 है. व 1224 रकबा 0.48 है. व खसरा नंबर 1231 रकबा 0.54 है. का 1/2 हिस्सा विक्रम पुत्र टुण्डी ने नत्थीसिंह पुत्र देवीसिंह को 12.12.2024 को एवं शेष 1/2 हिस्सा रामवीर सिह पुत्र टुण्डी ने नत्थीसिंह पुत्र देवीसिंह को 12.12.2024 को जरिए जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र विक्रय कर दिया। आराजी खसरा नंबर 1222 रकबा 0.76 है., 1225 रकबा 0.68 है. को रावमीर सिह व विक्रमसिंह पिसरान टुण्डी ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र देवेन्द्री पत्नी रामवीर सिंह व मंजू पत्नी विक्रमसिंह जाति जाट निवासी भदीरा को दिनांक 05.07.2013 को विक्रय कर दिया। आराजी खसरा नंबर 1223 रकबा 0.68 है. व 1224 रकबा 0.48 है. व 1231 रकबा 0.54 है. से 52/54 हिस्सा को देवेन्द्री पत्नी रामवीर व मंजू पत्नी विक्रमसिंह ने राजीव कुमार सिंघल, सुरेश चंद सिंघल जाति वैश्य निवासी भरतपुर को 2/3 हिस्सा, दीपेश सिंह पुत्र जसराम जाति जाट को 1/3 हिस्सा दिनांक 24.10.19 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र विक्रय कर दिया। तथा आराजी खसरा नबर 1225 रकबा [illegible] से 48/68 हिस्सा तथा 4183/1222 रकबा 0.76 से 57/76 हिस्सा [illegible] है. को देवेन्द्री पत्नी रामवीर व मंजू पत्नी विक्रमसिं[illegible] जरिए रजिस्[illegible] विक्रयपत्र राजीव कुमार सिंघल पुत्र सुरेश चंद सिंघल 67/100 हिस्सा तथा जसराम पुत्र रघुनी को [illegible] 100

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:39:27 IST
Reason: SelfAttested

6/5/24
उपखण्ड अधिकारी
नद[illegible] (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 25.02.2019 को विक्रय कर दिया। आराजी खसरा नंबर 1223 रकबा 0.68 है., 1224 रकबा 0.48 है. किता 2 रकबा 1.16 है. पूर्ण तथा 1231 रकबा 0.54 है. का 52/54 हिस्सा नत्थीसिंह पुत्र देवीसिंह ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र तारीख 23.10.2019 को राजीव कुमार पुत्र सुरेश चंद 2/3 हिस्सा तथा दीपेशसिंह पुत्र जसराम जाति जाट निवासी सोगर तहसील कुम्हेर को 1/3 हिस्सा दिनांक 24.10.2019 को विक्रय कर दिया। तथा आराजी खसरा नंबर 1223 रकबा 0.68, 1124 रकबा 0.48 किता 2 रकबा 1.16 है. पर दीपेशसिंह पुत्र जसराम 1/3 हिस्सा तथा राजीव कुमार सिंघल पुत्र सुरेश चंद सिंघल का 2/3 हिस्सा पर खातेदारी अंकित हो गई तथा उक्त आराजी एक्सिस बैंक शाखा भरतपुर में रहन है। नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 खाता संख्या 259 पेश है। तथा आराजी खसरा नंबर 1231 रकबा 0.54 पर दीपेश सिंह पुत्र जसराम हिस्सा 26/81 जाति जाट निवासी सोगर तहसील कुम्हेर , राजीवकुमार सिंघल 52/81 तथा विक्रमसिंह पुत्र टुण्डीराम हिस्सा 1/57 हिस्सा पर खातेदारी अंकित है। इस संदर्भ में नकली जमाबंदी 2073 से 2076 खाता संख्या 934 पेश है। तथा खसरा नंबर 1225 रकबा 0.68 गैरमुमकिन भट्टा 0.48 हैक्ट. चाही 0.20 तथा 3183/1222 रकबा 0.76 गैरमुमकिन भट्टा 0.57 हैक्ट. चाही 0.19 नामान्तरण संख्या 2047 तारीख 11.11.2019 बेचान का विचाराधीन है।

यह कि वादीगण ने बिना किसी आधार के एंव कानून के विरूद्ध वादपत्र पेश किया है जो निम्न कारणों से काबिल निरस्तनीय है–

1. यह कि वादीगण प्रार्थीगण विवादित आराजी में से आराजी खसरा नंबर 1223 रकबा 0.68, 1224 रकबा 0.48, 1231 रकबा 0.54, 1225 रकबा 0.68, 4183/1222 रकबा 0.76 हैक्टेयर को जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र खरीद किया है। इस संदर्भ में नकल विक्रयपत्र पेश है। वादीगण ने अपने वादपत्र में स्वयं माना है कि विवादित आराजी वादी के बाबा टुण्डीराम की कब्जे व काश्त खातेदारीकी आराजी है। तथा उसने जीवनकाल में ही विवादित आराजी को जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 19.04.2012 को विक्रय कर दिया है। ऐसी स्थिति में दिनांक 19.04.2012 को टुण्डीराम ने जो विक्रय किया है उक्त विक्रयपत्र तारीख 19.04.2012 वैद्यानिक है। क्योंकि विवादित आराजी टुण्डीराम की स्वअर्जित आराजी है। जिसे उक्त आराजी को विक्रय कर का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। जिसे वादीगण निरस्त कराने के अधिकार प्राप्त नहीं है। तथा उसके द्वारा रामवीरसिंह , विक्रमसिंह को किए गए विक्रयपत्र भी वैद्यानिक है क्योंकि जब तक वादीगण टुण्डीराम के द्वारा किए गए विक्रयपत्र को निरस्त नहीं करा पा लेता है जब तक उसके द्वारा किए गए सभी विक्रयपत्र वैद्यानिक है। हम प्रतिवादीगण के हक में किए गए विक्रयपत्र देवेन्द्री पत्नी रामवीर, मंजू पत्नी विक्रमसिंह , नत्थीसिंह पुत्र देवीसिंह द्वारा किए गए हैं। उन्होने जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र विवादित आराजी को खरीद किया है। इसलिए उनके द्वारा की गई विक्रयपत्र विवादित आराजी को पैतृक आराजी नहीं माना जा सकता है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।
2. यह कि विवादित आराजी किसी स्थिति में वादीगण की पैतृक आराजी नहीं है परन्तु वादीगण के कथनानुसार विवादित आराजी को पैतृक भी माना जावे तो कर्ताखानदान टुण्डीराम द्वारा किये गए विक्रय पत्र रेवेन्यू बोर्ड की परिधि में नहीं आते हैं। जिनको निरस्त करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है। जब तक वादीगण सिविल न्यायालय से उक्त विक्रयपत्र को निरस्त नहीं करा लेता है जब तक वादीगण का वादपत्र चलने योग्य नहीं है, काबिल खारिजी के है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:39:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

3. यह कि वादीगण सं. 3 लगायत 8 जो नाबालिग है अपने नाना की तरफ से वादपत्र पेश किया है जो कानूनन गलत है क्योंकि आदेश 32 नियम 3 (4) के तहत वादीगण संख्या 3 लगायत 8 के माता पिता जीवित है तो ऐसी स्थिति में दूसरा व्यक्ति संरक्षक नहीं बन सकता है। यदि माता पिता को संरक्षक नहीं बनाया जा सकता है तो न्यायालय की स्वीकृति के बिना नाबालिग का संरक्षक नहीं किया जा सकता है। तथा न्यायालय स्वीकृति के बिना दावा पेश नहीं किया जा सकता है। इसलिए दावा वादी काबिल खारिजी के है।

4. यह कि विवादित आराजी में से आराजी खसरा नंबर 1225 रकबा 0.68 हैक्ट गैर मुमकिन भट्टा 0.48 हैक्ट तथा 4183/1222 रकबा 0.76 हैक्ट में से गैर मुमकिन भट्टा 0.57 हैक्ट का है। ऐसी स्थिति में वादीगण उक्त आराजी पर दावा लाने का अधिकारी नहीं है क्योंकि यह कृषिभूमि की तारीफ में नहीं आता है इसलिए दावा वादीगण काबिल खारिजी के है।

वकील वादी/अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 जाब्ता दीवानी के तहत जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जो इस प्रकार है–

यह कि विवादित आराजी प्रार्थीगण के बाबा टुण्डीराम पुत्र कारे के कब्जे काश्त व खातेदार की बताई गई है वो गलत है क्योंकि उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण के परबाबा कारे पुत्र भीकम से प्रार्थीगण के बाबा टुण्डीराम पुत्र कारे को विरासत इंतकाल सं. 61 संवत 2028 से प्राप्त हुई है। जोकि अपने हिस्से से अधिक बेचान किया है। जो बेचान प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है प्रार्थीगण अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने की वजह से उक्त वयनामा को वालित व बेअसर करा सकता है। प्रार्थना पत्र में जो बेचान अंकित किया गया है वह कानून के खिलाफ है क्योंकि प्रार्थीगण वक्त वयनामा नाबालिग थे। प्रार्थी के बाबा ने उक्तवयनामा प्रार्थीगण के अधिकारों को मारने की गरज से किया गया था जबकि प्रार्थना पत्र में स्वअर्जित सम्पत्ति टुण्डीराम की बताई गई है। उक्त तथ्य गलत अंकित किया गया है क्योंकि उक्त आराजी कारे पुत्र भीकम की कब्जेकाश्त की आराजी थी जो जमाबंदी सं. 2014 में बखूबी साबित है। तथा इंतकाल सं. 61 से टुण्डीराम पुत्र कारे को विरासत से प्राप्त हुई है। प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी पैतृक आराजी है जोकि प्रार्थीगण के बाबा टुण्डीराम को उनके पिता कारे पुत्र भीकम से प्राप्त हुई है। और जो प्रार्थना पत्र में अंकित वयनामा हिस्से से अधिक बेचान होने पर उक्त वयनामा नल एण्ड वोईड की परिधि में आते है। परन्तु प्रार्थीगण नाबालिग होने की स्थिति में कानूनी ज्ञान न होने के कारण उक्त वयनामों को निरस्त कराने का ज्ञान नहीं है। प्रार्थीगण नाबालिग होने एवं उनके पिता शराबी एवं माता कहीं फरार है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के संरक्षक नानी अधिक बुजुर्ग होने के कारण नाना को जरिए बली परस्त संरक्षक बनाया गया है। जिससे कि नाबालिग के हितों पर कुठाराघात न हो। विवादित आराजी जो कि गैरगुमकिन भट्टा अंकित है, में उक्त आराजी भट्टा का बेचान नल एण्ड वोइड है जो कि गलत तरीके से बेचान किया है। और उक्त भट्टे पर आज भी प्रार्थीगण का कब्जा बना हुआ है। प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है क्योंकि प्रार्थना पत्र में अंकित वर्णित आराजी प्रार्थीगण के बाबा के स्वअर्जित ना होकर पैतृक है जो एक संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी है। इसलिए प्रार्थीगण का जन्म से अधिकार है।

बहस प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम [illegible] 1 जाब्ता दीवानी के सुनी गयी। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना [illegible] हुए दौराने बहस कहा कि विवादित आराजीयात [illegible] खसरा नम्बरान [illegible], 1224, 1231, 1225, 1222 वादीगण की पैतृक आराजी है। तथा टुण्डीराम द्वारा अपने जीवनकाल में जरिए विक्रय पत्र दिनांक 19.04.12 को खसरा नंबर [illegible]3, 1224, 1231, 1225,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:39:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
न[illegible] (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

1222 को अपने पुत्र रामवीर व विक्रम सिंह को विक्रय कर दिया। तथा खसरा नंबर 1223, 1224, 1231 का बेचान दिनांक 12.12.20214 को रामवीर सिंह एवं विक्रमसिंह ने नत्थी सिंह पिता देवीसिंह को जरिए रजिस्टर्ड वयनामा कर दिया। आराजी खसरा नंबर 1222 रकबा 0.76 है., 1225 रकबा 0.68 है. को रावमीर सिह व विक्रमसिंह पिसरान टुण्डी ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र देवेन्द्री पत्नी रामवीर सिंह व मंजू पत्नी विक्रमसिंह जाति जाट निवासी भदीरा को दिनांक 05.07.2013 को विक्रय कर दिया। आराजी खसरा नंबर 1223 रकबा 0.68 है. व 1224 रकबा 0.48 है. व 1231 रकबा 0.54 है. से 52/54 हिस्सा को देवेन्द्री पत्नी रामवीर व मंजू पत्नी विक्रमसिंह ने राजीव कुमार सिंघल, सुरेश चंद सिंघल जाति वैश्य निवासी भरतपुर को 2/3 हिस्सा, दीपेश सिंह पुत्र जसराम जाति जाट को 1/3 हिस्सा दिनांक 24.10.19 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र विक्रय कर दिया। तथा आराजी खसरा नबर 1225 रकबा 0.68 है. से 48/68 हिस्सा तथा 4183/1222 रकबा 0.76 से 57/76 हिस्सा यानि रकबा 1.05 है. को देवेन्द्री पत्नी रामवीर व मंजू पत्नी विक्रमसिंह ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र राजीव कुमार सिंघल पुत्र सुरेश चंद सिंघल 67/100 हिस्सा तथा जसराम पुत्र रघुनी को 33/100 हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 25.02.2019 को विक्रय कर दिया। आराजी खसरा नंबर 1223 रकबा 0.68 है., 1224 रकबा 0.48 है. किता 2 रकबा 1.16 है. पूर्ण तथा 1231 रकबा 0.54 है. का 52/54 हिस्सा नत्थीसिंह पुत्र देवीसिंह ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र तारीख 23.10.2019 को राजीव कुमार पुत्र सुरेश चंद 2/3 हिस्सा तथा दीपेशसिंह पुत्र जसराम जाति जाट निवासी सोगर तहसील कुम्हेर को 1/3 हिस्सा दिनांक 24.10.2019 को विक्रय कर दिया। तथा आराजी खसरा नंबर 1223 रकबा 0.68, 1124 रकबा 0.48 किता 2 रकबा 1.16 है. पर दीपेशसिंह पुत्र जसराम 1/3 हिस्सा तथा राजीव कुमार सिंघल पुत्र सुरेश चंद सिंघल का 2/3 हिस्सा पर खातेदारी अंकित हो गई तथा उक्त आराजी एक्सिस बैंक शाखा भरतपुर में रहन है। नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 खाता संख्या 259 पेश है। तथा आराजी खसरा नंबर 1231 रकबा 0.54 पर दीपेश सिंह पुत्र जसराम हिस्सा 26/81 जाति जाट निवासी सोगर तहसील कुम्हेर , राजीवकुमार सिंघल 52/81 तथा विक्रमसिंह पुत्र टुण्डीराम हिस्सा 1/57 हिस्सा पर खातेदारी अंकित है। इस सदर्भ में नकली जमाबंदी 2073 से 2076 खाता संख्या 934 पेश है। तथा खसरा नंबर 1225 रकबा 0.68 गैरमुमकिन भट्टा 0.48 हैक्ट. चाही 0.20 तथा 3183/1222 रकबा 0.76 गैरमुमकिन भट्टा 0.57 हैक्ट. चाही 0.19 नामान्तरण संख्या 2047 तारीख 11.11. 2019 बेचान का विचाराधीन है। प्रार्थी वकील का कहना है कि वादीगण की ओर से जो दावा पेश किया गया उसमें वादीगण सं. 3 लगायत 8 की ओर से संरक्षक नाना खुद बच्चूसिंह पुत्र पल्टूराम जाति जाट निवासी वमनपुरा तहसील कठूमर को बनाया गया है। माता-पिता के जीवित होते हुए बली सरपरस्त बनाने के लिए न्यायालय की अनुमति लेनी चाहिए थी। मुताबिक जमाबंदी 2073-2076 विवादित आराजी के खसरा नंबर 1225 व 1222 गैर मुमकिन भट्टा आबादी भूमि है। उक्त विवादित आराजी की सुनवाई का अधिकार न्यायालय श्रीमान को नहीं है। पैतृक जमीन होने पर भी कर्ता खानदान जमीन का विक्रय कर सकता है। वादीगण द्वारा जो दावा पेश किया गया है उसमें विवादित आराजीयात का हस्तान्तरण अनेक बार जरिये रजिस्टर्ड वयनामा हुआ है जिनके विक्रय पत्र की प्रति संलग्न है। तथा रजिस्टर्ड वयनामा को नल एण्ड वॉइड करने का अधिकार दीवानी न्यायालय को प्राप्त है। जब तक इन रजिस्टर्ड वयनामा को निरस्त नहीं किया जा सकता दावा चलने योग्य नहीं है अर्थात् मेन्टेबिल नहीं है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की नजीरें आरआरडी 2002 पेज 582, आरआरडी 1998 पेज नं. 648, आरआरडी 1997 पेज नं. 265,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:39:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

आरआरडी 2002 पेजन नं. 689, आरआरडी 1991 पेज नं. 321 आदि पेश किए गए।

अप्रार्थीगणों की ओर से विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अपने जबाव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 07 नियम 11 व 151 जा0दी0 के तहत अंकित तथ्यों को दोहराया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता के कथन रहे कि जो प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 पेश किया है । जिसमें टुण्डीराम की आराजीयात को स्वअर्जित आराजी बताया गया है। जबकि विवादित आराजीयात पैतृक आराजी है जो टुण्डीराम को इंतकाल सं. 61 कारे पिता भीकम से जो कि टुण्डीराम के पिता थे, से प्राप्त हुई है। वादीगण टुण्डीराम के नाती एवं नातिनी है। देवेन्द्री रामवीर की पुत्रवधू एवं मंजू विक्रम की पुत्रवधू है जो बाहर रहती हैं। हम वादीगणों द्वारा जो दावा पेश किया है वह केवल हमें विवादित आराजी से हमारे हक हिस्से तक किया है। विवादित आराजीयात पैतृक आराजी है जिस पर वादी के अधिकार जन्म से निहित हैं तथा संपूर्ण आराजी को बेचान नहीं कर सकता। अप्रार्थी वकील का यह भी कथन है कि दावा में अभी अन्य पक्षकार की तलवी नहीं हुई है तथा न ही जबावदावा पेश किया है और न ही कोई साक्ष्य पेश किए गए हैं। अप्रार्थी वकील द्वारा अपने जबाव प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 व 151 जा.दी. के समर्थन में सत्य प्रतिलिपि नामान्तरण संख्या 61 वाके ग्राम भदीरा, प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल संवत 2060, प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2014 वाकेग्राम भदीरा एवं माननीय उच्च न्यायालय की नजीरें आरआरटी 2017 पेज नं. 533, आरआरटी 2018 भाग–2 पेज नं. 1455, आरआरटी 2018 भाग–2 पेज नं. 1467, आरआरटी 2016 भाग–1 पेज नं. 674, आरआरटी 2016 भाग–1 पेज नं. 676, आरआरटी 2018 भाग–2 पेज नं. 1468 आदि पेश किए।

अप्रार्थी वकील द्वारा विवादित आराजीयात को पैतृक बताया गया है अगर कर्ता खानदान पैतृक जमीन का विक्रय भी करता है तो वोइडेबल नहीं है। विवादित आराजीयात के खसरा नंबरान का अलग–अलग समय पर विभिन्न क्रेता एवं विक्रेताओं द्वारा खरीद–बेचान जरिए रजिस्टर्ड वयनामा किया गया है। विवादित आराजी का हस्तान्तरण तथा रजिस्टर्ड वयनामा कई बार हुआ है। तथा रजिस्टर्ड वयनामा को निरस्त करने का अधिकार केवल दीवानी न्यायालय को प्राप्त है। अतः विवादित आराजीयात का हस्तान्तरण होने के कारण दावा की मेन्टेबिलिटी पर असर पडता है जिसके कारण दावा मेन्टेबल नहीं है। विवादित आराजी के खसरा न 1225 व 1222 गैर मुमकिन भट्टा होने के कारण वाणिज्यिक श्रेणी के अन्तर्गत आती है जिसके सुनवाई के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः वादी का दावा मेन्टेबल नहीं होने के कारण विवादित आराजीयात का हस्तान्तरण होने के कारण एवं वाणिज्यिक श्रेणी की भूमि होने के कारण दावा काबिल खारिजी के है।

हमने दोनों विद्वान वकीलों की बहस को सुना बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 वा 151 जाब्ता दीवानी के तहत पेश किया गया है, वादीगण दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 188 आर.टी.ए. के तहत खातेदारी घोषणा का पेश किया गया है। अप्रार्थी वकील द्वारा विवादित आराजीयात को पैतृक बताया गया है अगर कर्ता खानदान पैतृक जमीन का विक्रय भी करता है तो वोइडेबल नहीं है। विवादित आराजीयात के खसरा नंबरान का अलग–अलग समय पर विभिन्न क्रेता एवं विक्रेताओं द्वारा खरीद–बेचान जरिए रजिस्टर्ड वयनामा किया गया है। विवादित आराजी का हस्तान्तरण तथा रजिस्टर्ड वयनामा कई बार हुआ है। तथा रजिस्टर्ड वयनामा को निरस्त करने का अधिकार केवल दीवानी न्यायालय को प्राप्त है। अतः विवादित आराजीयात का हस्तान्तरण होने के कारण दावा की मेन्टेबिलिटी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:39:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
...ई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

असर पड़ता है जिसके कारण दावा मेन्टेबल नहीं है। विवादित आराजी के खसरा न 1225 व 1222 गैर मुमकिन भट्टा होने के कारण वाणिज्यिक श्रेणी के अन्तर्गत आती है जिसके सुनवाई के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः वादी का दावा मेन्टेबल नहीं होने के कारण विवादित आराजीयात का हस्तान्तरण अनेकों बार होने के कारण एवं विवादित आराजीयात के खसरा नम्बर वाणिज्यिक श्रेणी की भूमि होने के कारण दावा बार्ड बाई लॉ होने के कारण काबिल खारिजी के है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 व 151 जा.दी. के तहत् स्वीकार किया जाकर वादीगण का दावा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.8.24 को सुनाया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

6/8/24

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:39:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner